कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कुटरू, जिला–बीजापुर (छ0ग0)

परिशिष्ट–1

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित करने की सूचना

(विज्ञापन)

कमांक / 325 / म0बा0वि0 / स्था. / 2026–27 कुटरू,दिनांक 01 / 09 / 2026

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर छ0ग0 के पत्र क्रमांक IT/830/2025/HOG IT SECTION IT नवा रायपुर, दिनांक 05 / 01 / 2026 के परिपालन में परियोजना कुटरू अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाडी सहायिका के पद रिक्त है। पद पूर्ति हेतु मानसेवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से नीचे दर्शाए गए शर्तो के अधीन ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से दिनांक 01.09.2026 से दिनांक 15.09.2026 तक आंमत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की नवीन वेबपोर्टल https://aww.e-bharti.in में पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु प्रक्रिया की जानकारी उक्त पोर्टल में उपलब्ध उपयोगकर्ता मेनुअल से ली जा सकती है।

नोटः– ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन के प्रिन्ट आउट सहित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर निर्धारित समय सीमा में परियोजना कार्यालय कुटरू में जमा करना अनिवार्य है। रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

–::000::–

कमांक	सेक्टर का नाम	आं.बा. केन्द्र का नाम	ग्राम का नाम / वार्ड	ग्राम पंचायत / नगर पंचायत	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	कुटरू	टेलीटेकला	पेठा	पेठा	कार्यकर्ता का पद
					01

आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक अर्हताएँ निम्नानुसार है ::–

6. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सहायिका को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जावेगा।
7. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के पद के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 44 वर्ष के मध्य होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी। एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता / सहायिका / सह– सहायिका संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष का छूट दी जायेगी।
8. आवेदिका उसी ग्राम / राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए)।
9. निवासी होने के प्रमाण में (i) ग्राम की अद्यतन सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे अथवा (ii) ग्राम पंचायत के सरपंच / सचिव अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो मान्य किया जावेगा। विवाह की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।
10. **आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिएः–**

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	12 वीं बोर्ड उत्तीर्ण

टीपः– उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर आठवीं बोर्ड एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदन पर विचार किया जावेगा। साक्षर आवेदिका के लिये साक्षरता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

(6) अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह– सहायिका होने पर (01वर्ष या उससे अधिक का अनुभव होना अनिवार्य है) जनपद क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा 2002 एवं नगरी क्षेत्र के लिए 2007 की गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा प्रमाण पत्र मान्य होगा (आवेदिका को गरीबी रेखा प्रमाण पत्र में दर्ज मुखिया के वर्तमान परिवार में शामिल होना अनिवार्य है)। गरीबी रेखा को 6 अंक दिया जावेगा। अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की महिला होने पर 10 अंक तथा विधवा परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त 15 अंक दिया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। अस्थायी जाति प्रमाण की वैधता आवेदन दिनांक को होना अनिवार्य है। किन्तु आदेश के बाद स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विधवा आवेदिका को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परित्यकता को संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/तथा सचिव द्वारा सुयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम/नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिया हो तो उसे अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश प्रस्तुत किया जावे। परित्यकता के प्रकरण में कम से कम 2 वर्ष की परित्यक्त अवधि अनिवार्य हैं।

स्पष्टीकरणः– पूर्व से कार्यरत कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका से आशय राज्य शासन की किसी योजना परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी/बालवाडी/झुलाघर/अतिरिक्त पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र/शहारी विशेष पोषण आहार वितरण केन्द्र/शिशु शिक्षा केन्द्र में कार्य करने के अनुभवी कार्यकर्ता सहायिका से है। इनके कार्य का अनुभव हेतु उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

(7) अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आंठवी तक अध्ययन करने पर 03 अंक अतिरिक्त दिया जावेगा।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

टीपः– विज्ञापन में किसी प्रकार कोई लिपिकीय त्रुटी हो तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका भर्ती नियम 2008 के अनुसार ही भर्ती प्रकिया पूर्ण की जावेगी।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना कुटरू
जिला–बीजापुर (छ.ग.)
कुटरू, दिनांक 01/09/2026

पृ0 कमांक/325अ/म0बा0वि0/स्था./2026–27

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, जिला बीजापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बीजापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भैरमगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड भैरमगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
5. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भैरमगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
6. सभापति विषय समिति एवं समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु।
7. सेक्टर पर्यवेक्षककी ओर सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु।
8. संबंधित ग्राम पंचायतसरपंचत/सचिव की ओर सूचनार्थ।
9. शाखा प्रभारी सूचना पटल में चस्पा कराने हेतु।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना कुटरू
जिला–बीजापुर छ0ग0